संख्या- 15 /2018/242/सैंतीस-2-2018-1(32)/2015

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक- 13 फरवरी, 2018

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-15 के अधीन बहुउद्देशीय सचल पशु चिकित्सा सेवायें (राज्य योजना) के मानक मद 14-मोटर गाड़ियों का क्रय में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/व्यय किये जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-321/सा0-1/एक्स-84(120)/बहु.स.प.चि.से./2017-18, दिनांक-11.01.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-09-बहुउद्देशीय सचल पशु चिकित्सा सेवायें (राज्य योजना) के मानक मद 14-मोटर गाडियों का क्रय में प्राविधानित धनराशि रू0-1027.00 लाख के सापेक्ष रू0-565.13106 लाख (रूपये पांच करोड़ पैंसठ लाख तेरह हजार एक सौ छः मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के साथ-साथ लेखानुदान अवधि में शासनादेश संख्या-38/2017/709/सैंतीस-2-2017-1(32)/2015टीसी, दिनांक-14.06.2017 द्वारा प्रश्नगत योजना के मानक मद 14-मोटर गाडियों का क्रय में स्वीकृत रू0-405.00 लाख को सम्मिलित करते हुए डी.जी.एस.एण्ड डी./जेम पोर्टल द्वारा अनुमोदित दरों पर मे0 टाटा मोटर्स लि0 की 158 टाटा सूमो गोल्ड, सीएक्स-पीएस ए.सी. बी.एस.-4 (प्रति वाहन रू0-6,14,007/- की दर से) वाहनों के क्रय हेतु कुल रू0-970.13106 लाख (रूपये नौ करोड़ सत्तर लाख तेरह हजार एक सौ छः मात्र) का नियमानुसार व्यय किये जाने की स्वीकृति अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी स्तर पर पी.एल.ए./बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि से क्रय किये जाने वाले वाहन का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के संगत शासनादेशों में निर्धारित सीमा/धनराशि के अन्तर्गत किया जायेगा।
3. प्रश्नगत वाहनों का क्रय डी.जी.एस.एण्ड डी. के नये जेम पोर्टल के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक-23.08.2017 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि से क्रय किये जाने वाले वाहनों का उपयोग मार्ग-निर्देशिका में वाहन संचालन हेतु दिये गये निर्देशानुसार किया जायेगा।
5. योजनान्तर्गत क्रय किये जाने वाले वाहनों में चालकों की व्यवस्था योजना में पूर्व में की गयी व्यवस्थानुसार आउटसोर्सिंग द्वारा सेवा प्रदाता फर्मों के माध्यम से की जायेगी।
6. प्रश्नगत धनराशि का व्यय केवल वाहन क्रय मद में किया जायेगा, किसी अन्य मद में किया गया व्यय अनुमन्य न होगा।

7. वाहन हेतु अनुमन्य धनराशि/स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।
8. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-09-बहुउद्देशीय सचल पशु चिकित्सा सेवायें (राज्य योजना)-14-मोटर गाडियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-2-यू.ओ.-162/दस-2018, दिनांक-09.02. .2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे
प्रमुख सचिव।

<u>पृ0सं0- 15 /2018/242(1)/सैंतीस-2-2018- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

डा0 प्रहलाद बरनवाल
अनु सचिव।